राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 166/2024

भगवती लाल शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, जयपुर राजस्थान।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, जयपुर, राजस्थान।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.01.2024
आदेश की दिनांक : 14.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनिल कुमार चेची, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को पीपीओ आदेश दिनांक 15.07.2020 जारी किया गया है, परन्तु अपीलार्थी को सेवाकाल में निलम्बन की अवधि दिनांक 24.08.2012 से 25.04.2016 के दौरान की अवधि को नियमित नहीं मानते हुए पीपीओ आदेश जारी किया है। अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

> " (i.) The respondents may be directed to regularize the period of suspension for the period 24.08.2012 to 25.04.2016 and count the same for his pensionary benefits, and further payment of the arrears of the pension as per the revised PPO, be paid, alongwith interest of 12% PA from the date these benefits were due.
>
> (ii.) The respondents may be directed to pay the salary for the period of suspension for the period 24.08.2012 to 25.04.2016 with interest @ 12% on the delayed payment of the arrears of his salary during the suspension period.
>
> (iii.) Cost of the Appeal be also awarded to the Appellant; and Any other order direction or relief which may be deemed fit may also kindly be passed in favour of the appelant."

2. अपीलार्थी ने उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहा है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह

अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

3. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

4. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)